## न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 समक्ष-डी०सी०थपलियाल

## प्रकरण कमांक 53 / 15 वैवाहिक

श्रीमती रैन् आयु 25 साल पत्नी लल्लेश पुत्री हीरासिंह जाति जाटव निवासी ग्राम हाल डॉग तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 -आवेदिका

बनाम

लल्लेश पुत्र जियालाल आयु 36 वर्ष जाति जाटव निवासी कूंअरगढ थाना फूफ जिला भिण्ड म०प्र0

—— अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री दाताराम बसल अधिवक्ता

अनावेदक द्वारा श्री के०पी०राठोर अधिवक्ता

//निर्णय//

// आज दिनांक 24-2-2016 को पारित किया गया //

- आवेदकगण / याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री की याचना की है।
- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती रेनू (जो कि आवेदन पत्र में आवेदिका के रूप में वर्णित किया गया है) एवं लल्लेश (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदक के रूप में वर्णित किया गया है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह 27 जून 2010 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अग्नि को साक्षी मानते हुये सम्पन्न हुआ था तभी से दोनो पक्षकारान आपस में पति पत्नी है । आवेदकगण के विवाह के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ था और विवाह

के बाद उनके कोई सन्तान भी नहीं हुयी । आवेदकगण के विवाह के कुछ समय पश्चात् से विचार एवं मेल मिलाप एक दूसरे से नहीं मिलते हैं इसिलये दोनों पक्षकारों के मध्य आये दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा फसाद बना रहता है और एक दूसरे के साथ जीवन पर्यन्त रह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है । आवेदकगण तकरीबन दो ढाई साल से अलग अलग रह रहे हैं और उनके मध्य कोई भी वैवाहिक जीवन जीने के लिये दाम्पत्य जीवन स्थापित नहीं हुआ है । आवेदकगण स्वेच्छयापूर्वक एक दूसरे से विवाह संबंधों से पृथक पृथक रहना चाहते हैं । दोनों पक्षकारों ने पृथक पृथक रहने का फैसला अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के लिया है जिसके चलते दोनों पक्षकारान अलग उलग रहने के लिये स्वतंत्र होंगे । दिनांक 18–8–15 को सामाजिक पंचायत हुयी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षकारान स्वेच्छया पूर्वक विवाह विच्छेद करा ले जिसके लिये वह दोनों पक्षकारान भी पूर्णतः सहमत हैं । ऐसी दशा में आवेदकगण के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र दिनांक 19–08–15 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में सम्पन्न हुये विवाह दिनांक 27 जून 2010 को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिकी पारित करने का निवेदन किया गया है। ।

- 3— उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका पेश होने के उपरांत न्यायालय के द्वारा दिनांक 25—8—15, 26—11—15, 22—2—15 के उपरांत आगामी तिथि नियत की गयी | उक्त नियत तिथियों में भी पक्षकारों के आपसी सुलह समझोते के संबंध में संभावना तलाशी गयी किन्तु उनके बीच किसी प्रकार का सुलह होने के आसार होने नहीं पाये गये |
- 4— वर्तमान याचिका पेश होने के उपरांत छः माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 श्रीमती रेनू एवं पक्षकार कं02 लल्लेश को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।
- 5— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया | पक्षकारों के मध्य हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं02 लल्लेश की पक्षकार कं01 श्रीमती रेनू विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है | इस संबंध में पक्षकारों के द्वारा शपथपत्र भी पेश किये गये हैं | आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है | उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सहमती

बनने अथवा समझौता होने या उनके आपस में साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । पक्षकार करीब दो ढाई वर्ष से अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकारों के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उनके मध्य अब कोई लेन देन नहीं है अनावेदक के द्वारा आवेदिका को भरण पोषण की राशि की व्यवस्था न्यायालय के बाहर अदा कर दी है जिसे कि आवेदिका ने स्वीकार किया है।

6— विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमती के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :--

1—आवेदिका पक्षकार कं01 श्रीमती रेनू तथा पक्षकार कं02 लल्लेश के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 27 जून 2010 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे । 3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे ।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड